भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1848

(03 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता

1848. एडवोकेट ए.एम. आरिफः

श्री डी.के. सुरेशः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के नियम कुछ राज्यों में अधिसूचित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन श्रमिकों की संख्या कितनी है, जिन्हें उनकी पात्रता के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्रदान नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों ने पंजीकृत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार प्रदान नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार ने देश के सभी घरों को मनरेगा के अंतर्गत 100 कार्य दिवसों का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने इस संबंध में किसी अतिरिक्त धनराशि का उपबंध किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की धारा 7 के अनुसार यदि किसी आवेदक को रोजगार की मांग करने के संबंध में उसका आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अथवा अग्रिम आवेदन के मामले में जिस तिथि से रोजगार मांगा गया है, जो भी बाद में हो, रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो बेरोजगारी भत्ता देय है। इस धारा में यह भी प्रावधान है कि ऐसी कोई दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस

दिनों में मजदूरी दर के एक चौथाई से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए निर्धारित मजदूरी के आधे से कम भी नहीं होगी। अधिनियम के प्रावधान के अनुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान राज्यों को करना होता है। राज्यों द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के कामगारों को वित्त वर्ष 2019-20 (02.03.2020 तक) में बेरोजगारी भत्ते के रूप में 0.12 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

(घ) से (च): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है। यह ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा अर्थात आजीविका के विकल्प प्रदान करती है जब रोजगार का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध न हो। काम की मांग विभिन्न कारकों जैसे वर्षा, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अलावा वैकल्पिक और लाभकारी रोजगार अवसरों की उपलब्धता आदि से प्रभावित होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन्हें 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया ऐसे परिवारों की राज्य-संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध** में दी गई है।

(छ): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केन्द्र सरकार काम की मांग और राज्यों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों के पालन को ध्यान में रखते हुए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जब कभी वास्तविक आधार पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है, मंत्रालय, महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट अनुमान (बीई) चरण में बजट प्रावधान 60,000 करोड़ था। मांग में वृद्धि के कारण मंत्रालय ने अतिरिक्त बजट आवंटन का अनुरोध किया है जो संशोधित अनुमान (आरई) चरण में बढ़कर 71,001.81 करोड़ रु. हो गया है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 03.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत प्रश्न सं. 1848 के उत्तर के भाग (घ) से (च) में उल्लिखित अनुबंध

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार**		
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**
1	आंध्र प्रदेश	5.801	5.945	8.674
2	अरुणाचल प्रदेश	0.000	0.000	0.003
3	असम	0.113	0.109	0.184
4	बिहार	0.142	0.156	0.246
5	छत्तीसगढ	1.729	3.235	4.284
6	गुजरात	0.082	0.112	0.341
7	हरियाणा	0.025	0.039	0.038
8	हिमाचल प्रदेश	0.111	0.141	0.703
9	जम्मू और कश्मीर	0.323	0.360	0.376
10	झारखंड	0.371	0.575	0.260
11	कर्नाटक	1.963	0.300	2.114
12	केरल	1.132	1.174	4.415
13	मध्य प्रदेश	1.409	1.347	0.768
14	महाराष्ट्र	1.678	2.015	1.924
15	मेघालय	0.865	1.150	1.609
16	मिजोरम	0.565	0.000	0.817
17	नागालैंड	0.002	0.001	0.000
18	ओडिशा	0.357	0.681	0.472
19	पंजाब	0.035	0.095	0.068
20	राजस्थान	4.272	2.281	5.884
21	सिक्किम	0.084	0.035	0.047
22	तमिलनाडु	13.207	1.502	2.597
23	तेलंगाना	1.745	2.035	2.272
24	त्रिपुरा	1.161	0.044	0.150
25	उत्तर प्रदेश	0.412	0.425	0.720
26	उत्तराखंड	0.255	0.218	0.260
27	पश्चिम बंगाल	1.995	5.576	13.369
28	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.005	0.000	0.002

स्रोत: www.nrega.nic